राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

प.5(1)प्रसु/सम/अनु–1/2008 पार्ट जयपुर, दिनांक : 09,अक्टूबर, 2017

आज्ञा

भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 23/LET/ECI/FUNC/ERD-ER 2017(Vol.-II) दिनांक 1 जनवरी 2018 द्वारा फोटोयुक्त मतदान सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम अर्हता अवधि दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 से 05 जनवरी, 2018 तक निर्धारित किया गया है।

अतः फोटोयुक्त मतदान सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों यथा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अति. जिला कलक्टर), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार) एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल अधिकारी/पदाभिहित अधिकारियों/सुपरवाइजर के पद पर सामान्यतया फील्ड स्तर पर कार्यरत विभिन्न स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरणों पर दिनांक 30 अक्टूबर, 2017 से 05 जनवरी, 2018 तक प्रतिबन्ध लगाया जाता है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अवधि में अत्यावश्यक मामलों में आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाये।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

मानक वितरण

www.rajteachers.com